manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Committee of the Tuberculosis Association of India."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The questions is:

"That in pursuance of clause 3(vii) (a) of the Rules and Regulations of the Tuberculosis Association of India, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Committee of the Tuberculosis Association of India."

The motion was adopted.

13 hrs.

315

MERCHANT SHIPPING (AMEND-MENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958."

The motion was adopted.

SHRI CHAND RAM: I introduce the Bill.

13.01 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

Matter under Rule 397

(i) REPORTED STORAGE DIFFICULTIES OF POTATO GROWERS OF FARUKHABAD DISTRICT OF UTTAR PRADESH

श्री राम प्रकाश विषाठी (कन्नॉज) : उपाध्यक्ष महोदय, में निधम 377 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के उन जिलों के किसानों की दूखभरी आवाज यहां प्रस्तृत कर रहा हुं ऑर विशेषकर फारुखाबाद जिले के किसानों की, जहां सम्पर्ण एशिया में सब से अधिक आलू का उत्पादन होता हैं। फारुखाबाद, इटावा, कानपूर, मैंनपूरी और उस के आसपास को जिलों में इस वर्ष आलुकी उपज बहुत अधिक हुई हैं। यह अधिक उत्पादन वहां के किसानों के लिए अभिशाप हो गया हैं। तीन तरह से किसान इस समय मारा जा रहा है । पहले तो आल को भयंकर तुफान और वर्षी से नुकसान पहुंचा हैं। दूसरे रेलवे के बैगन न मिलने के कारण आल वहां पर बहुत सस्ता हो गया है और तीसर जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं. उन्होंने एक षडयन्त्र कर रखा हैं। वे अपना आसू सस्ते दामों पर खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं और किसानों का आलू हजारों और लाखों क्वींटल की संख्या में रोड पर धूप में पड़ा पड़ा सड़ रहा है'। इसलिए इस और मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान बढ़ी गम्भीरता के साथ आवतच्य कर रहा हुं । दुर्भाग्य यह हैं कि नियम 377 के अन्तर्गत जो मामला हम उठार्त डें. उस को न तो कोई मंत्री सनता हैं और न उस का जवाब दोता हैं। मैंने इस विषय पर काल एटंजन के नोटिस भी दिये लीकन वे आते नहीं । उपाध्यक्ष जी, जब तक इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा । किसान मर रहे हैं और बहां पर न कोई मंत्री सुनने वाला है और न जवाब देने वासा है। मेरा कहना यह है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।.. (व्यवधान) ...

^{*}Published in Gazette of India Ex-traordinary Part, II section 2. dated 22nd March 1979.